फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

हनुमान बनाम नाथू वगै0

संख्या : दावा 32/2021

या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही		विशेष विवरण
	22.10.2024	अधिवक्ता वादी गौरीशंकर शर्मा एवं प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से श्री बनवारी शर्मा उपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता ने निवेदन किया की वादी को आदेश दिनांक 27.05.2024 को संशोधित उनवान पेश करने हेतु आदेशित किया गया था परन्तु वादी ने लगभग 5 महिने उपरान्त भी आज दिनांक तक कोई संशोधित उनवान पेश नहीं किया इसलिए वाद नॉन कम्प्लाईन्स में खारिज किया जावे। तथा इसके अतिरिक्त उपरोक्त वाद में वादी द्वारा अपने पिता नाथू के विरूद्व प्रस्तुत किया है, नाथू की मृत्यु हो चुकी है, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली में प्रस्तुत है। नाथू के विरूद्व चाहा गया अनुतोष उसकी मृत्यु होने पर समाप्त हो गया है अतः वाद कारण भी समाप्त हो गया है अतः वाद खारिज किया जावे। वादी अधिवक्ता ने अभिवचन किया की नाथू की मृत्यु की जानकारी नहीं है। संशोधित उनवान आज पेश कर दिया है। अतः वाद खारिज होने योग्य नहीं है। उभयपक्ष की बहस एवं प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का अवलोकन किया गया। उक्त वाद में मुख्य अनुतोष प्रतिवादी संख्या 1 नाथू से चाहा गया है, चूकि वादी के पिता नाथू की मृत्यु दिनांक 1.10.2021 को हो चुकी है। इसलिए वादी द्वारा चाहा गया अनुतोष एवं वादकारण पिता की मृत्यु होने पर स्वतः समाप्त हो गया है। वादी अधिवक्ता का यह कहना की नाथू की मृत्यु की जानकारी नही है जोकि पोषणीय नहीं है क्योकि नाथू की मृत्यु लगभग तीन वर्ष पूर्व हो चुकी है जोकि मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति से साबित है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार होने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी स्वीकार कर वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Varma
Date: 2025.01.06 12:35:43 IST
Reason: SelfAttested